

आदेश

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभ्यर्थियों को विभागान्तर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशनट्रेनी) पर निम्न शर्तों/नियमों/प्रावधानों के अधधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन उसके नाम के सम्मुख कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है:-

क्र.स.	नाम मृतक आश्रित व मृतक कर्मचारी से संबंध	मृतक कार्मिक का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मृत्यु दिनांक एवं मृतक से संबंध	संवर्ग	आश्रित की जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन स्थान
1	श्री दीपक गमेती पुत्र स्व. श्री हुकमसिंह गमेती, निवासी- मु0पो0 रास्तापाल फला माण्डली तह0 सीमलवाडा जिला डूंगरपुर	स्व. श्री हुकमसिंह गमेती कम्पाउन्डर राजकीय आयुर्वेद औषधालय रास्तापाल- डूंगरपुर मृत्यु दिनांक 28.10.2021	एस.टी.	15.02.2003	सीनियर सैकेण्डरी	कार्या- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर

उक्त मृतक आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति निम्न शर्तों/नियमों/प्रावधानों के अधधीन रहेगी:-

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक:एफ.1(2) एफडी/रूल्स/06/दिनांक: 13.3.06, एफ-16(2)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक: 13.3.06, एफ.13 (1) एफडी. रूल्स/2003 दिनांक:13.3.06, एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक:13.3.06 एवं एफ.16(5)एफ.डी.रूल्स/98 दिनांक:13.3.06 के अन्तर्गत तथा समय-समय संशोधित नियमों/प्रावधानों के तहत होगी।

1. अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी (रूल्स)2017 दिनांक: 30.10.17 के अनुसार नियम-16 के तहत वेतन लेवल एल-5 राशि रुपये-14600/- (चौदह हजार छः सौ मात्र रुपये मात्र) मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा।
2. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
3. कार्मिक विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं एफ.3(1) कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 02.01.2017 के अनुरूप सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/द्विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी को नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की अवधि में RSCIT /कम्प्यूटर कोर्स उर्तीण करना अनिवार्य होगा। परीवीक्षा कालावधि के भीतर सुसुगत नियमों में विहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी। इसमें विफल होने पर उसकी परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसका कार्य पूर्णतः असन्तोष जनक पाये जाने पर उसकी सेवाओं को समाप्त न कर दे। साथ ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम-9 के 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु कम्प्यूटर से टंकण परीक्षा उर्तीण करना अनिवार्य होगी, ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी।
4. मृतक के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का उचित रूप से भरण पोषण करने में असफल रहने पर इन्हे नियमानुसार सेवा से हटाया जा सकेगा।
5. ड्युटी जोईनिंग पर किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।


अभ्यर्थी आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस तक अपनी उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख पदस्थापित कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समयवाधि में उपस्थिति नहीं देने पर आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

1. सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
2. जाति प्रमाण पत्र। सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी हो।
3. आयु व शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र।
4. संबंधित गृह जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट।
5. दो राजत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
6. आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ-पत्र।

7. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04-10-2013 के अनुसार नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी से धूमपान एवं गुटका सेवन न करने के संबंध में वचनबंध (Undertaking) प्राप्त करे ।
8. विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दहेज नही लेने सम्बन्धी शपथ पत्र एवं संतान संबंधी वचन पत्र। दिनांक 01.06.2002 के बाद 2 से अधिक सन्तान होने पर नियुक्ति अनुज्ञेय नही है। (विधवा को छोड़कर)
9. कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 5(51)डीओपी/ए-11/88/पार्ट जयपुर दिनांक 08-04-2015 के द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम- 1996 के नियम-5 में संशोधन अनुसार मृतक आश्रित से ड्युटी जोईनिंग के समय मृतक कर्मचारी पत्नी एवं उसका कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य-सरकार अथवा केन्द्र या राज्य-सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित नही होने का शपथ पत्रय(ड्युटी जाईनिंग दिनांक तक मृतक आश्रित परिवार का कोई सदस्य केन्द्र या राज्य-सरकार अथवा केन्द्र या राज्य-सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देय नही है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त संशोधन आदेश की पालना संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लेवे।)

संबंधित आश्रितों/आश्रित की उक्त नियुक्ति उससे संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण, सन्तान वचन पत्र, अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-5 के तहत प्रस्तुत शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के नियमानुसार एवं सन्तोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।

उक्त मृतक आश्रितों के पदस्थापन कार्यालय के संबंधित अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित आयु एवं शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/अन्य समस्त दस्तावेजों की नियमों के परिपेक्ष्य में जांच/परीक्षण कर नियुक्ति की प्रक्रिया की अन्य पूर्तियाँ पूरी करने के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर ड्युटी पर लिया जावे तथा वर्णित दस्तावेजों की आप द्वारा प्रमाणित प्रतियों के साथ कार्यग्रहण की सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावे।



(आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

दिनांक: 5-7-2022

क्रमांक: प.1/प्रति-4/मू.आ.नि./14/2022/12851

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप. सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
3. जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर
4. अति.निजी सचिव, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर ।
5. निजी सहायक, अति.निदेशक(प्रशा.) आयुर्वेद विभाग अजमेर
6. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग उदयपुर
7. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर
8. अतिरिक्त प्रशासनिक(प्रति) अधिकारी आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
9. प्रभारी, गोपनीय शाखा आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
10. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
11. संबंधित मृतक आश्रित
12. संबंधित पत्रावली


(डा० राकेश कुमार गौड)
सहायक निदेशक